19

-1-

न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण कमांकः /2007 रिव्यू 948-II/07

हरीमोहन श्रीवास्तव पुत्र रामस्वरूप श्रीवास्तव उम्र 45 वर्ष व्यवसाय काश्तकारी निवासी ग्राम अकोला तहसील व जिला दतिया म0प्र0

———————— आवेदक

बनाम

1— मध्य प्रदेश शासन

2— कप्तान सिंह यादव पुत्र गुलाब सिंह यादव निवासी ग्राम अकोला तहसील व जिला दतिया हाल सी.आय.एस.एफ. आरक्षक दन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली

3— रामस्वरूप यादव पुत्र श्री वीरसिंह यादव आयु 55 साल धंधा खेती निवासी ग्राम अकोला तहसील व जिला दतिया म0प्र0

———————— अनावेदकगण

"रिव्यू अन्तर्गत धारा 51 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 16–5–2007 जिसे प्रकरण कमांक आर–1139(II)/2006 में श्री डॉ. जे.टी. एक्का, सदस्य महोदय द्वारा पारित किया गया ।"

प्रकरण के तथ्य

1— यहकि, विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदक (हरिमोहन श्रीवास्तव द्वारा आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 89 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता वास्ते त्रुटि सुधार हेतु इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसका पुराना सर्वे नम्बर 84 रकवा 0.227 हेक्टर ग्राम अकोला में स्थित था जिसका बन्दोवस्त के दौरान

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ----------

प्रकरण कमांक 948–दो/2007 पुनरावलोकन जिला दतिया

स्थान तथा दिनॉक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आ हस्ताक्षर
2-1-17	न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर के प्रकरण कमांक 1139–दो/2006 में पारित आदेश दिनांक 16–5–2007 के विरूद्व यह पुनरावलोकन आवेदन मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत हुआ है। 2/ पुनरावलोकन आवेदन में दिये गये आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्र0क0 1139–दो/2006 में आये तथ्यों का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर एंव न्यायालय के प्रकरण कमांक 1139–दो/2006 के तथ्यों एंव आदेश दिनांक 16–5–2007 की समीक्षा पर विचार किया गया। आवेदक के अभिभाषक ने तर्को के दौरान उन्हीं तथ्यों को दोहराया है जो उन्होंने पुनरावलोकन आवेदन में अंकित किये हैं। किसी भी प्रकरण में पारित आदेश के पुनरावलोकन हेतु संहिता की धारा 51 में इस प्रकार व्यवस्था दी गई – 1. प्रत्यक्ष दर्शी भूल अथवा नियमों की त्रृटि, 2. किसी ऐसे अभिलेख की प्राप्ति तथा प्रस्तुतीकरण, जो उस समय प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जब कि आदेश पारित किया गया एंव वाद में शोध पर प्राप्त हुआ, 3. अन्य पर्याप्त हेतुक . आवेदक के अभिभाषक उक्त आधारों में से कोई भी आधार प्रस्तुत नहीं कर सके हैं एंव यह भी समाधान नहीं करा सके हैं कि आदेश दिनांक 16–5–07 का पुनरावलोकन किन आधारों पर संभव है। इसके विपरीत प्रकरण कमांक 1139–दो/2006 में पारित आदेश दिनांक 16–5–2007 में बोलता हुआ आदेश है जिसमें फेर–बदल की गुॅजायश नहीं है। अतएव पुनरावलोकन आवेदन इसी स्तर पर अमान्य किया जाता है। सदस्य	